बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान।

Email-fcd.siwan@gmail.com

पत्रांक

सिवान, दिनांक / /2026

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या—04/2025–26

सिवान जिला के बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान अन्तर्गत घाघरा नदी के 7 नं0 गोगरा तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 68.00 के बीच, पंचमुआ जमींदारी बॉध 0.00 कि0मी0 से 3.36 कि0मी0, झरही नदी के दायॉ एवं बायॉ तटबंध प्रत्येक 8.00 कि0मी0 कुल 16.00 कि0मी0 एवं छाड़ी नदी के कि0मी0 53.320 से कि0मी0 76.470 के बीच, तथा दाहा नदी का अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, गुठनी एवं अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, सिसवन के लिए भाड़े पर प्रत्येक के लिए एक–एक वाहन (स्कार्पियो) उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से मुहरबंद लिफाफा में कोटेशन के शर्त्तो के साथ कोटशन आमंत्रित किया जाता है।

1.	कोटेशन आमंत्रण की तिथि	:	दिनांक 10.03.2026 को
2.	कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	दिनांक 18.03.2026, 10:30 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराहन तक ।
3.	कोटेशन प्राप्ति का स्थान	:	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज/ मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज के कार्यालय में।
4.	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 18.03.2026 को 3:30 बजे अपराहन में।
5.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान। (मोबाईल नं0–7463889615)

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्त्तें निम्नवत् है :–

6. भाड़े पर वाहन वर्ष 2026–27 के लिए 01.04.2026 से 31.03.2027 तक के लिए लिया जायेगा। तथा सेवा संतोषजनक रहने पर एकरारित दर पर अगले निर्धारित अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसयिक निबंधन अनिवार्य है। तथा वाहन का मौडल वर्ष 2020 के पूर्व का नही होना चाहिए।
7. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
8. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शूल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
9. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का बैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
10. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं बैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।

11. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

12. भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन प्रतिमाह इंधन रहित एवं चालक सहित देय।
13. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
14. वाहन मलिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा उद्धत दर सिवान समाहारणालय (जिला नजारत शाखा) के ज्ञापांक 1065/नजा0 दिनांक 22.12.2025 के आलोक में स्कार्पियों सामान्य के लिए प्रतिमाह रू0–26000.00 (छब्बीस हजार) मात्र एवं वातानुकूलित के लिए प्रतिमाह रू0 28500.00 (अठाईस हजार पाँच सौ) (चालक सहित) अथवा न्यूनतम कोटेड द्वारा स्वीकृत होगा।
15. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा रू0 1000.00 (एक हजार) के स्टांप पेपर पर किया जायेगा। जिसका वहन वाहन मालिक को करना होगा।
16. वाहन का माईलेज़ वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
17. वाहन मालिक/फर्म का जी0एस0टी0 एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
18. बाढ़ अवधि एवं कटाव निरोधक कार्य की अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनो समय में किया जाता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
19. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक कार्यो में नहीं करेंगे।
20. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करो की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी।
21. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान में से दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
22. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 21 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 09, 10 एवं 17 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगें। वाहन मालिक/फर्म या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
23. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाताओं के बीच दिनांक 01.04.2026 के अपराह्न 4.00 बजे लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन प्रतिनिधित के अनुपस्थिति में लौटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नही होगा।
24. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।
25. कोटेशन के साथ क्रमांक 09, 10 एवं 17 के कागजात एवं शपथपत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा।
26. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं कार्यालय कक्ष में सम्पर्क किया जा सकता है।

10/03/2026

(ई0 मदन चन्द चौधरी)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान।

पत्रांक 432 /   सिवान,   दिनांकः– 10 / 03 / 2026

प्रतिलिपिः–सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट् कॉपी के साथ दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु समर्पित।

अनु0ः– सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी कोटेशन आमंत्रण सूचना।

10/03/2026

(ई0 मदन चन्द चौधरी)
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान।